रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 72] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 98(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उप-नियम 115ग के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"115घ. उपयोग किए जा रहे यानों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट

भारत में रजिस्ट्रीकृत उपयोग किए जा रहे यानों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट अनुज्ञात किया जाएगा जहां :

(1) रिट्रोफिटमेंट के लिए आशयित उपयोग किए जा रहे यान निम्नलिखित शर्तों पूरा करेंगे, अर्थात् :—

(i) यह बीएस II या पश्चात्वर्ती उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करेंगे;

(ii) यह एम 1, एन 1 या एम 2 प्रवर्ग के होंगे जिनमें जीवीडब्ल्यू 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;

(iii) इनमें केवल या तो गैसोलीन या डीजल ईंधन का उपयोग किया जाएगा; और

(iv) इन्हें पूर्व में रिट्रोफिट नहीं किया गया होना चाहिए और इनमें किसी अन्य वैकल्पिक ईंधन का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(2) रिट्रोफिट किए गए यानों में बहु उत्सर्जन मानक तत्स्थानी पेट्रोल या डीजल यानों में प्रचलित के समान ही होंगे जैसे कि उक्त यानों के विनिर्माण के वर्ष को लागू होते हैं ।

(3) रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् यान समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-123:2013 की अपेक्षाओं को उस समय तक पूरा करेंगे जिस समय तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्दिष्टियों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु संकर वैद्युत प्रणाली किट अनुमोदन के प्रयोजन के लिए विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाण-पत्र की विधिमानता उसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी ।

(4) अनुमोदित संकर वैद्युत प्रणाली किट की किस्म का प्रतिष्ठापन संकर वैद्युत प्रणाली किट के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रतिष्ठापक द्वारा ही किया जाएगा और प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक के दायित्वों तथा समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-123:2013 में दी गई व्यवहार संहिता का तब तक पालन करेगा जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस विनिर्दिष्टियां अधिसूचित नहीं कर दी जाती हैं" ।

[फा. सं. आरटी-11036/60/2013-एमवीएल]

संजय बदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 664 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2013 द्वारा किया गया है ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2014

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. The objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after sub-rule 115C, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"115D. Retro fitment of hybrid electric system kit to in-use vehicles

Retrofitment of hybrid electric system kit to in-use vehicles registered in India shall be permitted where :

(1) the in-use vehicle intended for retrofitment shall comply with following conditions, namely:

(i) it shall be complaint to BSII or subsequent emission norms;

(ii) it shall be of M1, N1 or M2 category having GVW not exceeding 3500 kg.

(iii) it shall be fuelled by either gasoline or diesel fuel only; and

(iv) it shall not have been retrofitted earlier and shall not be fuelled by any other alternate fuel.

(2) mass emission standards for vehicles retrofitted shall be the same as prevalent for corresponding petrol or diesel vehicles as applicable for the year of manufacture of the said vehicle.

(3) the vehicle, after retrofitment, shall meet the requirement of AIS-123 : 2013 as amended from time to time till such time as corresponding BIS specifications are notified:

Provided that for the purpose of hybrid electric system kit approval, kit manufacturer or supplier shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126, the validity of such certificate being three years from the date of its issue.

(4) the installation of type approved hybrid electric system kit shall only be done by an installer authorised by hybrid electric system kit manufacturer or supplier, and the installer shall adhere to the installer's responsibilities and the Code of Practice detailed in the AIS-123 : 2013, as amended from time to time till such time as corresponding BIS specifications are notified".

[F. No. RT-11036/60/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 664(E) dated 27th September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.